

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 36 of 2024

(Amendment No. 63 to Subject List, edition 2013)

Sub.: Addition of subject in item no.1 in the Subject List of E(O)-I Branch under Secretary Dte.

To bring in uniformity in dealing with D&AR cases, it has been decided to amend the item no. 1 of the subject list of E(O)-I Branch under Secretary Dte. as under:

"Discipline and appeal cases of all Gazetted Officers (including superior officers of RPF wherever Railway Board/President is the DA/Appellate Authority/Revisionary Authority) on Railways/Production Units etc".

- 2. Revised subject list of E(O)-I branch is enclosed at Annexure-I.
- 3. The above issues with the approval of the competent authority.

No.2024/O&M/7/16 Dated: 08.07.2024 (T.Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board

Email id: <u>t.srinivas1@gov.in</u> Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

Copy for information to:-

EDPG/MR, JDPG/MOSR(S), Sectt. of MOSR(R).

E(O) - I

- 1. Discipline and appeal cases of all Gazetted Officers (including superior officers of RPF wherever Railway Board/President is the DA/Appellate Authority/Revisionary Authority) on Railways/Production Units etc. (vide O.O. No. 36 of 2024)
- 2. Withholding/reduction of pension of Gazetted officers of Railways/Production Units etc. as a result of departmental/judicial proceedings.
- 3. General Rules regarding fixation of seniority of officers on Recruitment/Promotion/Absorption in Group 'A'.
- 4. Seniority of officers and initial fixation of pay (Date of increment on time scale-DOITS) on permanent promotion to Group 'A' against promotion quota in the Junior Scale in various All India Services.
- 5. Grant of extension of service to individual Gazetted officers, excluding those working in Board's office and RDSO etc.
- 6. Cases of re-employment of Gazetted officers.
- 7. Grant of Disability Leave to Gazetted Officers.
- 8. Premature retirement of Gazetted officers of Indian Railways/Production Units etc as also Railway Board Secretariat Service.
- 9. Voluntary retirement from service of Group-A officers of Indian Railways/Production Units etc.
- 10. All matters relating to ex-states Railway Gazetted officers on subjects mentioned in items 1 to 9 above.
- 11. Representations from Gazetted officers in respect of matters relating to subjects dealt with in E(O)I Br.
- 12. Issues relating to according sanction for prosecution against Gazetted Officers.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 36

(विषय सूची के 2013 संस्करण में संशोधन सं. 63)

विषय : सचिव निदेशालय के अंतर्गत ई (ओ)-। शाखा की विषय सूची की मद संख्या 1 में विषय संवर्धन

अनुशासन एवं अपील मामलों के निपटान में एकरूपता लाने हेत् सचिव निदेशालय के अंतर्गत ई(ओ)-। शाखा की विषय सूची की मद संख्या 1 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नान्सार है:

"रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि पर सभी राजपत्रित अधिकारियों (रेल सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित, जहां कहीं भी रेलवे बोर्ड/राष्ट्रपति डीए/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकारी हैं) के अन्शासन और अपील मामले।"

- 2. ई(ओ)-। शाखा की संशोधित विषय सूची अनुलग्नक-। में संलग्न है।
- 3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अन्मोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/16

दिनांक: 08.07.2024

(टी.श्रीनिवास) iयुक्त मनिके संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

टेलीफोन नं. 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि स्चनार्थः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (एस), रेल राज्यमंत्री (आर) सचिवालय।

ई(ओ)-।

- 1. रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि पर सभी राजपत्रित अधिकारियों (रेल सुरक्षा बल के विरष्ठ अधिकारियों सिहत, जहां भी रेलवे बोर्ड/राष्ट्रपित डीए/अपीलीय प्राधिकरण/पुनरीक्षण प्राधिकारी हैं) के अनुशासन एवं अपील के मामले। (2024 के कार्यालय आदेश सं. 36 के तहत)
- 2. विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के राजपत्रित अधिकारियों की पेंशन रोकना/कटौती करना।
- 3. समूह 'क' में भर्ती/पदोन्नति/समाहन पर अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के संबंध में सामान्य नियम।
- 4. विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के कनिष्ठ वेतनमान में पदोन्नित कोटे के अंतर्गत समूह 'क' में स्थायी पदोन्नित पर अधिकारियों की वरिष्ठता और वेतन का प्रारंभिक निर्धारण।
- 5. बोर्ड कार्यालय तथा अअमासं आदि में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर राजपत्रित अधिकारियों की सेवावधि बढ़ाना।
- 6. राजपत्रित अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के मामले।
- 7. राजपत्रित अधिकारियों को अशक्तता छुट्टी प्रदान करना।
- 8. भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि सिहत रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के राजपत्रित अधिकारियों की समय-पूर्व सेवानिवृत्ति।
- 9. भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि के समूह 'क' अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।
- 10. उपर्युक्त मद 1 से 9 में उल्लिखित विषयों के संबंध में भूतपूर्व राज्य रेलवे के राजपित्रत अधिकारियों के सभी मामले।
- 11. ई(ओ)। शाखा में कार्रवाई किए जाने वाले विषयों से संबंधित मामलों के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों के अभ्यावेदन।
- 12. राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति देने से संबंधित मुद्दे।